गोरख पांडेय की कविता

समाजवाद

समाजवाद बबुआ, धीरे–धीरे आई
समाजवाद उनके धीरे–धीरे आई
हाथी से आई
घोड़ा से आई
अंगरेजी बाजा बजाई समाजवाद...
नोटवा से आई
वोटवा से आई
बिड़ला के घर में समाई, समाजवाद...
गांधी से आई
आंधी से आई
टुटही मड़इयो उड़ाई, समाजवाद...
कांगरेस से आई
जनता से आई
झंडा के बदली हो जाई, समाजवाद...
डालर से आई
रूबल से आई
देसवा के बान्हे धराई, समाजवाद...
वादा से आई
लबादा से आई
जनता के कुरसी बनाई, समाजवाद...
लाठी से आई
गोली से आई
लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद...
महंगी ले आई
गरीबी ले आई
केतनो मजूरा कमाई, समाजवाद...
छोटका के छोटहन
बड़का के बड़हन
बखरा बराबर लगाई, समाजवाद...
परसों ले आई
बरसों ले आई
हरदम अकासे तकाई, समाजवाद...
धीरे–धीरे आई
चुपे–चुपे आई
अंखियन पर परदा लगाई
समाजवाद उनके धीरे–धीरे आई।

पेज 1 का शेष भाग

रिश्वत का कमाल मुल्ज़िम करते धमाल

जुर्रत करे भी तो कैसे करे जब गैस्ट हाऊस का सारा प्रोग्राम चल ही उसके संरक्षण में रहा हो? जानकारों के मुताबिक मृतका तथा हत्यारा इस गैस्ट हाऊस के नियमित ग्राहक थे। गैस्ट हाऊस के आस-पास रहने वाले लोग बताते हें कि उन्होंने वहां नियमित रूप से चलने वाले काले धंधे के बारे में अनेकों बार थाने के अलावा उच्चाधिकारियों तक को लिखित शिकायतें की हैं। इस पर पुलिस ने तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन उसने ज़रूर अपने कुछ गुंडों से एक बार मुहल्ले वालों की गाड़ियों पर लठ बरसवा दिये थे, जिससे गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने हल्की-फुल्की कार्यवाही भी दिखावे के लिये की थी। दैनिक अखबारों में आये पुलिस बयानों में कहा गया है कि गैस्ट हाऊस अथवा होटलों आदि में यदि कोई अनियमितता है अर्थात वे गैरकानूनी ढंग से चल रहे हैं। तो इस बाबत नगर निगम को कार्यवाही करनी चाहिये। बिल्कुल ठीक है, उनको भी कार्यवाही करनी चाहिये। अपनी इस 'चाहिये' के बदले वे अपना थोड़ा बहुत चुग्गा पानी वसूल लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले न केवल इसी गैस्ट हाऊस में बल्कि थोड़ा बहुत सभी गैस्ट हाऊसों में रोज़ाना क्या करने आते हैं? और शहर के इसी गैस्ट हाऊस में काला धंधा इतना धड़ल्ले से क्यों हो रहा था औरों में क्यों नहीं हो रहा? जाहिर है मंथली व हफ़ता लेने का अधिकार तो पुलिस के पास और बाकी नगर निगम के पास। हां, जिस दिन पुलिस को हफ़ता न मिले उसी दिन वहां पुलिस का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जायेगा।

गैस्ट हाऊसों के इस धंधे के अलावा शराब का अवैध धंधा भी न केवल 5 नम्बर में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ज़ोरो पर है परन्तु 5 नम्बर में तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों पर है। गली-गली घर-घर चलते शराब बिक्री केन्द्र क्या पुलिस को नज़र नहीं आते? आते तो है लेकिन कह देते हैं कि यह तो आबकारी विभाग का काम है। शराब से पुलिस का क्या लेना-देना? लेकिन यह सत्य भी किसी से छिपा नहीं कि पुलिस को पर्याप्त हिस्सा दिये बगैर यह धंधा क्षण भर भी नहीं चल सकता। इतना ही नहीं सरकार को भारी भरकम टैक्स दे कर शराब के ठेके चलाने वाले भी पुलिस को इस बात का पैसा देते हैं कि वे अवैध बिक्री को रोकें; लेकिन पुलिस दोनों ओर से वसूली करने में ज़रा भी नहीं शर्माती।

थाने चौकी व ए सी पी स्तर तक तो इस तरह के लेन देन का मामला समझ में आता है, लेकिन इनके ऊपर बैठे सी पी साहब क्या कर रहे हैं, समझने में दिक्कत हो रही है। क्या वे अपने दफ़्तर को मात्र एक डाकघर की तरह चला रहे हैं जहां से ऊपर की डाक को नीचे व नीचे की डाक व दरखास्तों को इधर से उधर कर के अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं? कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब कोई कांड न होता हो, लेकिन किसी की कोई ज़िम्मेवारी तय नहीं होती। पुलिस की मौजूदा कार्यशैली यह मानने को मजबूर करती है कि इनका जनता की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं, बस एक सूत्री कार्यक्रम जनता को लूटना है। और जिस बेखौफ़ तरीके से जनता को लूटा जा रहा है उससे यह मानने में कोई दिक्कत नहीं कि लूट का माल धुर ऊपर तक पहुंच रहा है।

ई एस आई का दवा घोटाला

इसके अलावा भी अन्य कई मामूली दवायें व अन्य वस्तुएं भी मरीज़ को अपने पैसे से खरीद कर लानी होती थी। कमिशन खा कर खरीदी जाने वाली इन दवाओं की सेंपलिंग भी केवल नाम मात्र को ही होती है। दवाओं की गुणवत्ता को जांचने के लिये खरीदी गयी प्रत्येक दवा का सेंपल जांच हेतु ऐसी प्रयोगशाला में जाना चाहिये जिसका पता दवा सप्लायर को न हो इसके विपरीत खाना पूर्ति के लिये दवा सप्लायर द्वारा बताये गये चन्द नमूनों को उस प्रयोगशाला में भेजा जाता है जहां उसकी सांठ-गांठ होती है, जाहिर है ऐसे में कोई भी नमूना फ़ेल नहीं हो सकता। इसी गोरख धंधे की आड़ में उन मरीज़ों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है जिनके वेतन का साढ़े छः प्रतिशत भाग सरकार इलाज के नाम पर जबरन काट लेती है। इस व्यवस्था से डाक्टरों का परेशान होना भी स्वाभाविक है क्योंकि जब नकली दवा काम नहीं करेगी तो मरीज़ का गुस्सा डाक्टर पर उतरेगा। ऐसे में कई बार डॉक्टर मरीज के कान में धीरे से कह देते हैं कि ठीक होना है तो बाज़ार से असली दवा खरीद लो।

चौटालों की शिक्षक भर्ती: घोटालों का अंश मात्र

संवैधानिक तौर पर चौटालों की कलम में इतनी ताकत नहीं थी कि वे खुद नई लिस्ट के आधार पर नियुक्ति-पत्र जारी कर सकें, लिहाज़ा किसी ऐसे अफ़सर की तलाश हुई जो दस्तखत कर सके। इसके लिये आई.ए.एस. अफ़सर संजीव कुमार तैयार हो गये। जाहिर है इसके एवज में उन्हें भी भर्ती में कुछ कोटा दिया गया। संजीव ने पद भार संभालते ही रजनी की सील्ड अल्मारी से वह सील्ड लिफ़ाफ़ा निकाल लिया जिसमें पहली लिस्ट थी, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया और तुरूप के पते की तरह अपने पास रख लिया कि न जाने कब काम आ जाये।

सूत्र बताते हैं कि अपनी सामंती आदतों के अनुसार जब चौटालों ने संजीव कुमार को प्रताड़ित करना शुरू किया तो वे सभी सीमायें लांघ गये। उनकी पिटाई के अलावा और बहुत कुछ किया गया। इसका कारण यह बताया जाता है कि संजीव ने चौटालों से जो कड़ी सौदेबाज़ी की थी, उससे वे मन ही मन काफ़ी क्रोधित थे, लेकिन मौके की नज़ाकत व समय की मजबूरी को देखते हुए उस वक्त तो उन्होंने संजीव की शर्तें मान ली; लेकिन काम निकल जाने के बाद जब उसे रगड़ा लगाना शुरू किया तो संजीव सारे घोटाले को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा खड़ा हुआ।

ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि संजीव ने ही जब सारा भेद खोला है, तो उसे भी चौटालों के बराबर 10 साल की कैद क्यों दी गयी? इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सत्य है कि यदि संजीव भंडा फोड़ न करता तो यह घोटाला कभी न खुलता, लेकिन यह भी सत्य है कि संजीव के दस्तखतों के बगैर यह घोटाला कभी सिरे नहीं चढ सकता था। जब रजनी शेखरी व कई अन्य आई.ए.एस. अफसर यह काम करने से मना कर चुके थे तो उसने यह बीड़ा क्यों उठाया? हां यदि जांच एजेंसी (सी बी आई) चाहती तो उसे वायदा माफ़ गवाह बना सकती थी। लेकिन इसकी उसे कहीं जरूरत नहीं पड़ी, लिहाज़ा उसे भी बराबर का दोषी मान कर सज़ा दी गयी।

4-4 साल की सज़ा पाने वाले पचासों वे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा भवन व चंडीगढ में आ कर चौटालों के कहने पर फ़र्जी लिस्टों पर दस्तखत किये थे। इनमें से कुछ तो ज़िला शिक्षाधिकारी हैं शेष स्कूलों के प्रिंसिपल व प्राध्यापक आदि हैं। जहां-जहां ज़िला शिक्षाधिकारियों ने चौटालों के दबाव को नकार दिया वहां-वहां निचले स्तर के कर्मचारियों को कमेटियों में तैनात कर दिया गया। दरअसल सरकारी कर्मचारी बेइमानी न भी करना चाहें तो भी उन्हें सरकार की नाराज़गी से डर लगता है और जब चौटाले ही सरकार हों तो फ़िर कहने ही क्या। लेकिन अब अदालत द्वारा दी गयी सज़ा से इन डरपोक लोगों को सबक मिलेगा कि भय और दबाव में ग़लत काम करने की सज़ा कहीं ज़्यादा कड़ी हो सकती है।

अकेले चौटाले ही नहीं सभी राजनेता योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देने के बजाये अपने नालायक व निकम्मे चहेतों को नौकरी देना अपना महान कर्त्तव्य समझते हैं। उनका तर्क होता है कि योग्य तो कहीं भी कमा खायेगा दिक्कत तो अयोग्य की होती है। इसलिये वे अयोग्य को नौकरी देने में समाज का परोपकार देखते हैं। इसी के चलते जिन 3200 लोगों को कहीं खेतों या कारखानों में मज़दूरी करनी चाहिये थी वे बच्चों को 'पढा' रहे हैं और जो पढाने के काबिल थे वे 3200 कहीं मज़दूरी करते भटक रहे होंगे। समझना कठिन नहीं है कि इस तरह के नालायक लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्या और कैसा पढा रहे होंगे। समझा जा सकता है कि इन 3200 नालायक लोगों ने गत 12 वर्षों में राज्य के कितने लाख बच्चों का बेड़ा ग़र्क किया होगा। यह काम केवल स्कूलों में ही नहीं बल्कि कॉलेजों और राज्य के विश्व-विद्यालयों में भी जारी है।

अदालत द्वारा की गयी इस न्यायपूर्वक कार्यवाही को चौटाला परिवार एवं समर्थक एक राजनीतिक षड्यन्त्र बता कर पूरे ज़ोर-शोर से प्रचारित करने में जुटे हैं उनके अनुसार उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, जो कुछ किया है वह उनका संवैधानिक अधिकार था। उन्हें राज्य की जनता ने वही कुछ करने के लिये चुन कर प्राधिकृत किया था जो उन्होंने कर दिखाया। अदालत की इस कानूनी कार्यवाही को वे कांग्रेसी सरकार द्वारा रचित षड्यन्त्र बता कर जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं कि अब अधिक लोग उनके बहकावे में आ पायेंगे।

हरियाणा में अपराध

अपराध के क्षेत्र में अब हरियाणा ने दिल्ली और पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। अपराध के मामले में यह देश में 12वें नंबर पर है। राज्य सरकार के आंकडों के अनुसार 2010 में राज्य में विभिन्न मामलों में लगभग 60 मुकदमें प्रतिदिन दर्ज होते थे जो पूरे वर्ष में 22054 की संख्या तक पहुंच गये। 2004 में हत्या के 733 मामले 2009 में बढ़ कर 950 एवं 2010 में 1005 तक पहुंच गये जबकि 2004 में बलात्कार के 386 मामले 2009 में 602 एवं 2010 में 717 तक पहुंच गये।

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे। कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।